

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

**RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1647
TO BE ANSWERED ON 09TH MARCH, 2021(TUESDAY)/ PHALGUNA 18, 1942 SAKA**

LETTER ON PAYFIXATION OF EX-SERVICEMEN RE-EMPLOYED IN PSBs

1647. SHRI NARAIN DASS GUPTA:

Will the Minister of *Finance* be pleased to state:

- (a) whether Government has received any letter on the issue of pay fixation of ex-servicemen re-employed in the Public Sector Banks from All India Ex-servicemen Bank Employees Federation to seek an appointment to discuss the issues raised therein;
- (b) if so, the action initiated to resolve the issues;
- (c) whether any committee has been constituted to resolve the issues, if so, the details thereof; and
- (d) whether representatives of the All India Ex-Servicemen Bank Employees Federation have also been included in the Committee?

ANSWER

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI ANURAG SINGH THAKUR)**

(a) to (d): The Government has received representations from All India Ex-servicemen Bank Employees Federation from time to time, inter-alia, relating to pay fixation of Ex-servicemen re-employed in Public Sector Banks (PSBs). The suggestions relating to pay fixation were examined in consultation with Indian Banks Association (IBA), Department of Personnel and Training (DoPT), Ministry of Defence (MOD), and Department of Public Enterprises (DPE), and it was observed that these were not in line with the existing IBA guidelines on the subject and the same was communicated to the Federation.

भारत सरकार
वित्तमंत्रालय
वित्तीयसेवाएं वभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या 1647

जसिका उत्तर 18 मार्च, 2021/18 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया गया

सरकारी बैंकों में पुनः नियुक्त पूर्वसैनिकों के वेतन निर्धारणसंबंधी पत्र

1647. श्रीनारायण दास गुप्ता:

क्या वित्तमंत्रालय बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को अखलि भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ से सरकारी बैंकों में पुनः नियुक्त पूर्वसैनिकों के वेतन निर्धारणसंबंधी मुद्दे पर पत्रप्राप्तहुआ है, जसिमें उठाए गए मुद्दों पर चर्चाकरने के लिए मलिन के समय मांगा गया है;
- (ख) यदिहां, तो समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाईकी गई है;
- (ग) क्या समस्याओं का समाधान करने के लिए कसि समिति का गठन कयिा गया है, यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या अखलि भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियोंको भी इस समिति में शामिल कयिा गया है?

उत्तर

वित्तमंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीअनुराग सहि ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार को अखलि भारतीय भूतपूर्वसैनिकि बैंक कर्मचारीमहासंघ से अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी क्षेत्रके बैंकों (पीएसबी) में पुनर्नियुक्तहुए भूतपूर्वसैनिकों के वेतन निर्धारणसे संबंधति अभ्यावेदन प्राप्तहुए हैं। वेतन निर्धारणसे संबंधति सुझावों की जांच भारतीय बैंक संघ (आईबीए), कार्मकि एवं प्रशिक्षणवभाग (डीओपीटी), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) तथा लोक उद्यम वभाग (डीपीई) के साथ परामर्शकरके की गई थी और यह पाया गया किये सुझाव उपर्युक्तवषिय पर आईबीए के मौजूदा दशिनरिदेशोंके अनुरूप नहीं थे तथा इसकी सूचना महासंघ को दे दी गई थी।
